चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 04.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 04.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों के कब्जे से 65 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(i). उ0नि0 श्री कन्हैयालाल पाण्डेय थाना भरतकूप मय हमराह आरक्षी अखिलेश सिंह सेंगर द्वारा अभियुक्त हरिश्चन्द्र पुत्र रामराज निवासी ग्राम गडरियन पुरवा मजरा रौली कल्याणपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 25 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप पर धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार सिंह थाना भरतकूप मय हमराह आरक्षी रणवीर सिंह द्वारा अभियुक्त मेवालाल पुत्र स्व0 मलुआ ग्राम रामपुरमाफी थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप पर धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(iii). उ0नि0 श्री शिवसागर दुबे व उ0नि0 रविकान्त राय थाना रैपुरा हमराही आरक्षी शिवम मिश्रा,महिला आरक्षी निधि सेंगर द्वारा अभियुक्त धीरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 जगदीश निवासी खजुरिहा कला थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना रैपुरा पर धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री श्यामदेव सिंह एवं उनकी टीम द्वारा अभियुक्त सतीश पटेल पुत्र संतोष पटेल निवासी जगदीशगंज थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 1 किलो 250 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

बरामदगीः-

1 किलों 250 ग्राम गांजा

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्यामदेव सिंह थाना कोत0 कर्वी

2.आरक्षी शिवपूजन यादव

3.आरक्षी नीतू द्विवेदी

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 03 वांछित व 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(i). प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह हमराही आरक्षी बहोरन सिंह व नीतू द्विवेदी द्वारा मु0अ0सं0 659/2024 धारा 376/354ख/504/506/507 भादवि0 व 67 आईटी एक्ट व ¾ पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त शिवपूजन पटेल पुत्र भइयालाल पटेल उम्र 47 वर्ष निवासी बनकट रोड कर्वी थाना कोत0 कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया।

(ii). उ0नि0 श्री रामअधार सिंह यादव हमराह आरक्षी विनोद कुमार व महिला आरक्षी ज्योति सरवइया द्वारा मु0अ0सं0 84/24 धारा 392/420/342/323/506/411 के वांछित अभियुक्ता 1. श्रीमती सुकबरिया पत्नी मोतीलाल निवासी

ग्राम चुरेहकशेरूवा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट 2. श्रीमती सीमा पत्नी राजकरन निवासी गांधीनगर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया।
(iii). उ0नि0 श्री रामकुमार मय हमराह महिला आरक्षी दीपिका सिंह द्वारा मु0नं0 3929/2012 मु0अ0स0 526/2012 धारा 504/506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त कमलेश कोरी पुत्र स्व0 कोदा व अभियुक्ता श्रीमती पेसुन उर्फ श्यामा पत्नी कमलेश कोरी निवासीगण खप्टिहा मजरा भारतपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों की विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी,क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह के मार्गदर्शन में चौकी सरैया पुलिस टीम ने नगर पंचायत मानिकपुर जलापूर्ति सरैया पम्प हाउस से हुयी चोरी की घटना का खुलासा कर 01 चोर को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों का विवरणः-

1.रवि सोनकर पुत्र कमलेश सोनकर निवासी मोहल्ला इन्द्रानगर नवोदय विद्यालय टंकी के पास कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट

बरामदगीः-

1. 02 हथौडा लोहे के
2. कास्ट आयरन लोहे के टूकड़े

संक्षिप्त विवरण

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 09.11.2024 को वादी सहायक जल अभियन्ता कर्वी श्री मुलायम सिंह यादव पुत्र रामजियावन निवासी सरायदते सोरांव गंगानगर कमिश्नरेट प्रयागराज हाल पता कर्वी थाना कोत0 कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मानिकपुर पर सूचना दी गयी कि दिनाँक 09.11.2024 जलापूर्ति सरैया पम्प हाउस से विभाग की पड़ी 250 एमएम सीआई पाइप लाइन घाटी पार्क से अज्ञात लोगो के द्वारा क्षतिग्रस्त करके 18मी0 पाइप उखाड़ कर चोरी कर ले जाना । इस सूचना पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 206/2024 धारा 303,324(5) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा घटना के अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर को निर्देशित किया गया। प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर द्वारा चोरी के सफल अनावरण हेतु उ0नि0 श्री नीरज तथा उनकी टीम को लगाया गया। उ0नि0 व उनकी टीम द्वारा आज दिनाँक 04.12.2024 को समय 11.45 बजे मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **रवि सोनकर पुत्र कमलेश सोनकर निवासी मोहल्ला इन्द्रानगर नवोदय विद्यालय टंकी के पास कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट** को मारकुण्डी रोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से गहनता से पूछंताछ की गयी तो बताया कि दिनांक 29.10.2024 को मैं व मेरे साथी 1. रोहित सोनकर 2.किशोरी कोल 3.लल्लू कोल 4.रवि कोल 5.कुँवर डोमार को पाईपो (नमामि गंगे) तोड़ फोड़ करते हुए चोरी किये थे कि उसी समय जल संस्थान के कर्मचारी आ गये थे तब हम पाइप छोड़कर भाग गये थे तथा दिनांक 09/10.11.2024 की रात्रि में मैं व मेरे साथी 1. रोहित सोनकर उर्फ दादा 2.किशोरी कोल 3.रवि कोल 4.कुवर डोमार द्वारा लोहा व हथौड़ा आदि माल चोरी किये थे । मेरे हिस्से में 02 लोहे के हथौड़ा व कास्ट आयरन लोहे के टुकड़े आया था । मैं सरैया काली घाटी के पास एक झाड़ी में नीचे छिपा रखे थे । बताये गये स्थान पर जाकर माल बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री नीरज चौकी सरैया

2.आरक्षी राजीव सिंह